

## सूचना

कोल इंडिया लिमिटेड की पुनर्वास एवं पुनःस्थापना नीति, 2012 के अंतर्गत श्री लच्छु टाना भगत पिता- जीतू टाना भगत एवं शकुन्तला देवी पति - रामकुमार टाना भगत , ग्राम: मासीलौंग , थाना: टंडवा, जिला: चतरा (झारखण्ड) को सी बी ए, 1957 आधिनियम के तहत थाना सं. 61 (रैयती भूमि) खाता सं. 18 के अधीन प्लॉट सं. 127, 190, 192 & 193 कुल रकबा - 04.00 एकड़ भूमि के अधिग्रहण के एवज में रोजगार का एक प्रस्ताव प्रोसेस किया गया है।

अगर उक्त रोजगार पर किसी भी व्यक्ति का कोई दावा/ आपत्ति हो तो वे इस सूचना के प्रकाशन / वेबसाइट [http://www.centralcoalfields.in/indsk/noti\\_empl\\_Ind.php](http://www.centralcoalfields.in/indsk/noti_empl_Ind.php) पर इस सूचना को डाले जाने की तारीख से पंद्रह दिनों के अंदर सभी दस्तावेज एवं साक्ष्य के साथ अपनी आपत्ति लिखित रूप में महाप्रबंधक (भूमि एवं राजस्व), सी.सी.एल, राँची के समक्ष उठा सकते हैं।

अगर उक्त पंद्रह दिनों के अंदर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो यह मान लिया जाएगा कि , ग्राम: मासीलौंग , थाना: टंडवा, जिला: चतरा (झारखण्ड) को सी बी ए, 1957 आधिनियम के तहत ग्राम: मासीलौंग, थाना: टंडवा, जिला : चतरा (झारखण्ड), थाना सं. 61, (रैयती भूमि) खाता सं. 18 के अधीन प्लॉट 127, 190, 192 & 193 कुल रकबा - 04.00 एकड़ भूमि के तहत श्री लच्छु टाना भगत पिता- जीतू टाना भगत एवं शकुन्तला देवी पति - रामकुमार टाना भगत , ग्राम: मासीलौंग , थाना: टंडवा, जिला: चतरा (झारखण्ड) के रोजगार प्रस्ताव पर कोई भी आपत्ति नहीं है।

दिनांक 26/08/22